न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2317–तीन/2013 विरुध्द आदेश दिनांक 27–12–12 पारित कलेक्टर, जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 158/2006–07 स्व.निगरानी.

बुन्देलसिंह पुत्र स्व. तोरनसिंह यादव
नि0 ग्राम बहेरिया ढाकोनी, तह0 ईसागढ,
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ...... आवेदक

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर,
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ...... अनावेदक

श्री जी0पी0 नायक, अभिभाषक – आवेदक
श्री वी0एम0 त्यागी, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 04, अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला अशोकनगर के स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 158/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 27–12–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 3/3 रकबा 0.444 हे. उसके खाते की भूमि से मिली होने व उस पर उसका लगभग 10–15 वर्षों से कब्जा होने से उसके खाते में शामिल कर बंटित करने का अनुरोध किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 07–04–93 द्वारा आवेदक को राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन कर भूमिस्वामी घोषित किया। नायब तहसीलदार के उक्त प्रकरण में कलेक्टर ने संहिता की धारा 50 के

अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 27–12–12 व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 1980 के पूर्व से था। उनका तर्क है कि व्यवस्थापन के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा ग्राम पचायत का प्रस्ताव भी प्राप्त करना कलेक्टर ने अपने आदेश में माना है। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व की भूमि 1.881 हे0 से मिली हुई है. कलेक्टर व्दारा आवेदक के कुटुम्बियों की भूमि आवेदक की भूमि मानने में त्रुटि की है नायब तहसीलदार के आदेश को लगभग 20 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लेकर तकनीकी आधार पर व्यवस्थापन आदेश निरस्त करना विधिसंगत नहीं है, अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 02–10–84 या उसके पूर्व से होना दस्तावेजी साक्ष्य से सिध्द नहीं है। आवेदक के पास भूमिस्वामी स्वत्व में भूमि है, इसलिये वह भूमिहीन नहीं होने से उसे भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है। नायब तहसीलदार व्दारा व्यवस्थापन के पूर्व ना तो विधिवत इश्तहार प्रकाशित किया और ना ही ग्राम पंचायत का विधिवत प्रस्ताव प्राप्त किया गया। ऐसी दशा में व्यवस्थापन विधि विपरीत होने से उसे कलेक्टर व्दारा निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ कलेक्टर ने अपने आदेश में यह माना है कि प्रकरण में उपलब्ध खसरा वर्ष संवत 2041 लगायत 2045 में प्रतिनिगरानीकर्ता/आवेदक का अवैध रूप से अतिक्रमण दर्ज है। तहसील न्यायालय में आवेदक स्वयं तथा शिशुपालसिंह व नन्नूलाल के बयान लिपिबध्द कराये गये हैं। गवाहों ने अपने बयान में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 8–10 पूर्व से होना बताया है, पटवारी हल्का ने अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि

आवेदक के खाते की भूमि 3/2क तथा 4/1क से मिली होना तथा इस पर आवेदक का कब्जा 10--12 वर्ष पूर्व से होना प्रतिवेदित किया गया है. तहसील न्यायालय के अभिलेख में इश्तहार की प्रति एवं ग्राम पंचायत अनोदा के ठहराव की प्रति भी संलग्न है। ग्राम पंचायत के ठहराव की प्रति पर सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर सील सहित हैं तथा अन्य व्यक्तियों (पंचो) के भी हस्ताक्षर हैं। नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 07--04--93 को कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 27--12--12 अर्थात 19 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में लेकर खारिज किया है जो अत्यधिक विलम्बित है। प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन के पश्चात किसी भी ग्रामवासी व्दारा कोई आपत्ति या अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गयी। जंगबहादुरसिंह वि. म0प्र0राज्य तथा एक अन्य (2007 रा.नि. 71) में राजस्व मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष व्दारा 3 वर्ष पश्चात पट्टा निरस्ती की कार्यवाही को विलंबित होना निर्धारित किया है। ढेलाबाई तथा अन्य वि. म0प्र0राज्य (1996 रा.नि. 286) में राजस्व मण्डल ने 9 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा की कार्यवाही को अत्यधिक विलम्बित होना माना है। मान. उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने रणवीरसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य (2010 रा.नि. 409) में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही जानकारी के दिनांक से 180 दिन के भीतर की जाना निर्धारित किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही जानकारी के दिनांक से 180 के भीतर किस प्रकार है, इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसी दशा में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समयावधि बाह्य होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर, जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 27--12--12 निरस्त किया जाता है। तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 07--04--93 यथावत रखा जाता है।

([illegible] सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,